

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 46/18

सुरेंद्र सिंह पुत्र मातादीन जाटव आयु 35 वर्ष  
निवासी वार्ड नंबर 17 गौतम नगर गोहद चौराहा  
थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद चौराहा

—अनावेदक

20-02-2018

आवेदक/आरोपी सुरेंद्र सिंह की ओर से श्री जी0एस0 निगम अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक 30/18 अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री जी0एस0 निगम ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं0प्र0सं0 का खारिज हो जाने के उपरांत द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री जी0एस0 निगम द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि फरियादिया ने पुलिस थाना गोहद चौराहा से मिलकर झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबकि आवेदक का उक्त घटना से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 16.02.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक गोहद चौराहा का स्थानीय निवासी है, उसके फरार होने या साक्ष्य प्रभावित किये जाने की संभावना नहीं है। कथित अपराध मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक मजदूर होकर अपने परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता है। यदि अधिक समय तक जेल में रखा गया तो उसका परिवार भूखा मर जायेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि बुरी नियत से फरियादी/पीड़िता ममता जाटव का हाथ पकड़ते हुये उसकी लज्जा भंग करने

के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किये जाने के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी/पीडित श्रीमती ममता जाटव द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश करने पर पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा अपराध क्रमांक 30/18 अंतर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया गया है, जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर 5 वर्ष तक कारावास की सजा से दण्डनीय है और जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.02.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा केस डायरी के अवलोकन से आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड होना भी दर्शित नहीं होता है और आवेदक गोहद चौराहा जिला भिण्ड का स्थाई निवासी होकर मजदूर परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की ओर से निम्न शर्तों सहित 20,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1. प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड